धारा-33. अन्य सामान्य बैठक-(1) प्रबन्ध कमेटी, सहकारी समिति के कार्य-सम्पादन के लिए जब जब आवश्यक हो, समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक (जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जाये) बुला सकती है।

(2) प्रबन्ध कमेटी निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय में कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक (जिसे असाधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा) बुलायेगी। प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को स्थान अथवा समय पर जिसका वह निदेश दे, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।